फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणपत सिंह **विपक्षी : श्री सोहनसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 88/20**

जीसीएमएस : 2020/00320

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 19.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 7 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 217 पर दर्ज आराजी नम्बर 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1404, 1405 किता 11 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि सिर्फ विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक का कब्जा माना जाता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:51 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंचोली पटवार हल्का कुंचोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की खाता संख्या 217 पर दर्ज आराजी नम्बर 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1404, 1405 किता 11 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested